न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 213/2015

वादीगण :-

1. हरजीराम पुत्र मंगलाराम
2. विजय चौधरी पुत्र सूजाराम
   जातियान-जाट, निवासीगण-झुझण्डा,
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रतनाराम पुत्र किशनाराम
2. जवानराम पुत्र किशनाराम
   जातियान-जाट, निवासीगण
   झुझण्डा, तहसील-जैतारण
   जिला-पाली (राज0)
3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी, जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:. 18/06/2015

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 08/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-कोटड़िया, पटवार हल्का-कुडकी, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 217-00 बीघा, खसरा नम्बर 233 रकबा 25-05 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 48-16 बीघा, खसरा नम्बर 2/9 रकबा 10-00 बीघा, खसरा नम्बर 22 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 227 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 2-00 बीघा, खसरा नम्बर 249 रकबा 53-15 बीघा खसरा नम्बर 250 रकबा 39-03 बीघा,खसरा नम्बर 229 रकबा 14-03 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 0-08 बीघा, खसरा नम्बर 224 रकबा 03-01 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 12-03 बीघा, खसरा नम्बर 226 रकबा 08-04 बीघा, खसरा नम्बर 232 रकबा 24-10 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 72-00 बीघा, खसरा नम्बर 47 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 12-06 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 16-04 बीघा, खसरा नम्बर 50 रकबा 1-03 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 01-15 बीघा की आई हुई हैं। उक्त वर्णित आराजी वादीगण के दादा नाथाराम की थी। नकल खतौनी बंदोबस्त व जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश की हैं, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा नाथाराम की पैतृक व पुश्तैनी आराजी थी, जो उनके फौत होने के बाद प्रतिवादीगण के पिता किशनाराम के नाम दर्ज हो गई । जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज नाथाराम के वंशज हैं। जिनकी वंशावली अनुसार मूल पुरूष नाथाराम (फौत) के वारिसान किशनाराम, मंगलाराम एवं सुजाराम हुए तथा किशनाराम के पुत्रगण रतनाराम व जवानराम हुए। मंगलाराम का पुत्र हरजीराम हुआ तथा सुजाराम का पुत्र विजय चौधरी हैं। उक्त वर्णित वंशावली अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की शामलाती खातेदारी पैतृक व पुश्तैनी के रूप में वादीगण व प्रतिवादीगण को विरासत के रूप मे प्राप्त हुई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त वच शामलाती रूप से मात्र कब्जा व काश्त है एवं उक्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक वर्षो से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा नाथाराम के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

फौत होने के बाद जो फौतेदगी म्यूटेशन तत्कालीन आर0आई0 व पटवारी ने पारित किया था। उस समय प्रतिवादीगण के पिता किशनाराम जो कि परिवार में सबसे बडे कर्ता खानदान थें एवं वादीगण के पिता मंगलाराम व सूजाराम छोटे नाबालिग थे। इस वजह से विरासत का जो म्यूटेशन था। वह अकेले किशनाराम के नाम से पारित कर दिया एवं वादीगण के पिता के नाम से म्यूटेशन नहीं भरा गया था। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के पिता किशनाराम के फौत होने पर फौतदगी म्युटेशन प्रतिवादीगण के नाम पारित कर दिया हैं। तब से लेकर के आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज चला आ रहा हैं। नकल जमाबंदी वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित आराजी में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम चला आ रहा हैं। परन्तु मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के जीवन काल में ही आपस में सहमति से बंटवाडा कर लिया गया था। तब से लेकर आज दिन तक वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित आराजी में अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हैं, एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अकेले प्रतिवादीगण का नाम ही इन्द्राज चला आ रहा हैं। वादीगण का नाम इन्द्राज नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण के साथ वादीगण के नाम दर्ज कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु यह वाद-पत्र बाबत घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। दिनांक 20/05/2015 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने पर उनको जानकारी हुई कि राजस्व रेकर्ड में अकेलें प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज है। उनका नाम इन्द्राज नहीं हैं। जबकि उक्त वर्णित आराजी में वादीगण संख्या एक हरजीराम का 1/3 वां हिस्सा एंव प्रतिवादीगण का 1/3वां हिस्से में नाम इन्द्राज होने चाहिये थें। परन्तु उक्त विवादित आराजी में अकेले प्रतिवादीगण का नाम ही इन्द्राज हो गया है। यदि राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने पर प्रतिवादीगण उक्त आराजी को किसी अन्य रहन बेचान वसीयत या अन्य हस्तान्तरण कर देते हैं या वादीगण को मौके से बेदखल कर देते है, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं सकेगी। इसलिए वादगीण का यह वाद-पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण के पिता का नाम उक्त आराजी में कर्ता खानदान एवं परिवार में बडे होने के कारण दर्ज हुआ एवं उसके बाद प्रतिवादीगण का नाम भी जरिये विरासत के इन्द्राज हुआ तब से आज दिन तक प्रतिवादीगण के अकेले के नाम ही राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा हैं। वादीगण को जानकारी होने पर प्रतिवादीगण को कहा कि वह वादीगण का भी नाम उनके साथ राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करावें तब वादीगण कराने बाबत कहने पर भी प्रतिवादीगण स्पष्ट रुप से ईन्कार हो गये। इसलिये वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद-पत्र घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में अपने अकेले का नाम दर्ज होने के आधार पर वादीगण को मौके से बेदखल करने व उन्हे काश्त नहीं करने एवं उक्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान, वसीयत करने व अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा है एवं मौके पर भी वादीगण की खातेदारी भूमि मे दखलन्दाजी व दस्तदांजी कर रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण गलत प्रविष्टि के आधार पर उक्त आराजी को किसी अन्य को रहन, बेचान, वसीयत, व अन्य हस्तान्तरण कर देते हैं, तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगें एवं मौके पर बाधा व दखलदांजी करेगें। जिससे मौके पर विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी तथा वादीगण अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगें। तब वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। उक्त वर्णित वाद-पत्र में वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि में अन्य सहखातेदार भी हैं। लेकिन उनको पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

के रुप से संयोजित नहीं किया गया है। चूंकि वादीगण ने अन्य सहखातेदारों के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। प्रतिवादीगण संख्या 03 तहसीलदार एवं उप मंजीयन अधिकारी जैतारण उक्त वाद-पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया हैं। जबकि इनके विरुद्ध वादीगण ने कोई अनुतोष नही चाहा हैं। बिनायवाद दिनांक 20/05/2015 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करके एवं प्रतिवादीगण को उनको नाम के साथ वादीगण का नाम इन्द्राज कराने का कहने पर व प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रुप से ईन्कार होने पर बमुकाम-कोटडिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कुड़की में पेश हुई। पक्षकारान ने राजीनाम पेश किया, जो राजीनामा तस्दीक किया गया। माफिक राजीनामा के वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कोटडिया, पटवार हल्का-कुडकी, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 217-00 बीघा खसरा नम्बर 233 रकबा 25-05 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 48-16 बीघा, खसरा नम्बर 2/9 रकबा 10-00 बीघा, खसरा नम्बर 222 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 227 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 2-00 बीघा, खसरा नम्बर 249 रकबा 53-15 बीघा खसरा नम्बर 250 रकबा 39-03 बीघा,खसरा नम्बर 229 रकबा 14-03 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 0-08 बीघा, खसरा नम्बर 224 रकबा 03-01 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 12-03 बीघा, खसरा नम्बर 226 रकबा 08-04 बीघा, खसरा नम्बर 232 रकबा 24-10 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 72-00 बीघा, खसरा नम्बर 47 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 12-06 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 16-04 बीघा, खसरा नम्बर 50 रकबा 1-03 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 01-15 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्व दर्ज हिस्से में वादीगण संख्या 1 को 1/3 हि0 एवं वादीगण संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखल करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-कुइकी पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. हरजीराम पुत्र मंगलाराम		1. रतनाराम पुत्र किशनाराम
2. विजय चौधरी पुत्र सूजाराम जातियान-जाट, निवासीगण-झुझण्डा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		2. जवानराम पुत्र किशनाराम जातियान-जाट, निवासीगण झुझण्डा, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज0)
		3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 213/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-कोटडिया, पटवार हल्का-कुडकी, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 रकबा 217-00 बीघा खसरा नम्बर 233 रकबा 25-05 बीघा, खसरा नम्बर 253 रकबा 48-16 बीघा, खसरा नम्बर 2/9 रकबा 10-00 बीघा, खसरा नम्बर 222 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 227 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 228 रकबा 2-00 बीघा, खसरा नम्बर 249 रकबा 53-15 बीघा खसरा नम्बर 250 रकबा 39-03 बीघा,खसरा नम्बर 229 रकबा 14-03 बीघा, खसरा नम्बर 223 रकबा 0-08 बीघा, खसरा नम्बर 224 रकबा 03-01 बीघा, खसरा नम्बर 225 रकबा 12-03 बीघा, खसरा नम्बर 226 रकबा 08-04 बीघा, खसरा नम्बर 232 रकबा 24-10 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 72-00 बीघा, खसरा नम्बर 47 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 12-06 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 16-04 बीघा, खसरा नम्बर 50 रकबा 1-03 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 01-15 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पूर्व दर्ज हिस्से में वादीगण संख्या 1 को 1/3 हि0 एवं वादीगण संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखल करने से स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जना हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	-००	स्टाम्प वकालतनामा	०१	-००
स्टाम्प वकालतनामा	०१	-००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०२	-००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	०५	-००	मिजानः-	०१	-००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner